

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई

KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION, MUMBAI

(ESTD. UNDER ACT. LXI OF 1956)

(कानून ६१ सन् १९५६ द्वारा संस्थापित)
वस्त्र-स्वावलंबन, सूती, ऊनी व रेशमी खादी तथा सरंजाम की उत्पत्ति
और खादी, सरंजाम व ग्रामोद्योग वस्तुओं की विक्री के लिए



कार्ये दुःखतमनाम् ।
प्रणिनाम् आर्तिनाशनम् ॥

यह प्रमाण-पत्र समय-समय पर निकाले जाने वाले प्रमाण-पत्र संबंधी नियमों और अनुदेशों के अन्तर्गत जारी किया गया है।

प्रमाण-पत्र संख्या

364/225

१. प्रमाण-पत्र चालू रहने की अवधि दि. ०१.०५.२००६ to ३१.०३.२०११

(यदि बीच में ही रद्द न किया गया तो) दि.

२. प्रमाण-पत्र पाने वाले का नाम

Chandrakant Lalit Mohan R. K. Saini

और पूरा पता

P.O. Chak Islampur

Dist. Murshidabad. (W.B.)

३. मुकरर उत्पत्ति क्षेत्र : १. स्वावलंबन खादी As per previous Certificate.

Cotton Khadi

२. धंधाधारी खादी

Silk Khadi

३. सरंजाम

४. ग्रामोद्योग

४. मुकरर विक्री क्षेत्र : १. भंडार As per previous Certificate.

२. एजेन्सी

स्थान : Korkata.

दिनांक : 22.06.06.

Dy. Executive Officer
(East, ra Zone)

Office of the Commissioner for Khadi & Village Industries

Ministry of Textiles, Govt. of India

3, Taria Road, Vile Parle (W).

Mumbai-400056